Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
Samastipur Dairy, Industrial Area, P.O. - Harpur Alowth, District- Samastipur
Phone No. 06274 – 2290680 , E-mail: - mithila_idis@sify.com

पत्रांकःमदुसःपरिवहनःनिविदाः 1074 दिनांक 20/04/2020

निविदा सूचना (सं0 02/2020)

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर अन्तर्गत समस्तीपुर, रोसड़ा, दरभंगा एवं मधुबनी संग्रहण क्षेत्र के विभिन्न दुग्ध पथों में अवस्थित दुग्ध समितियों से डेयरी/शीतक केन्द्र, बल्क कुलर तक कच्चे दूध का दिनांक 01/07/2020 से 30/06/2021 तक की अवधि के लिए परिवहन करने हेतु विभिन्न प्रकार के गाड़ियों टाटा 407/608/709/CRX-3200/पीकअप और उसके समतुल्य भाड़े पर देने वाले इच्छुक परिवहन संवेदकों (गाड़ी मालिकों) से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25/05/2020 को 5.00 बजे अपराह्न तक केवल पंजीकृत डाक/कुरियर के माध्यम से प्राप्त निविदा हीं मान्य होगा।

निविदा प्रपत्र, एकरारनामा से सम्बन्धित शर्तों, पथों की विवरणी/विभिन्न पथों में लगाई जानेवाली गाड़ियों के प्रकार का विवरणी इत्यादि के साथ निविदा प्रपत्र दिनांक 25/04/2020 से 20/05/2020 तक कार्यालय कार्य दिवस में 1000/– रूपये नगद जमा कर संघ मुख्यालय, समस्तीपुर से प्राप्त किया जा सकेगा। प्रत्येक पथ के लिए अलग–अलग निविदा भरे जायेंगे। निविदा प्रपत्र संघ के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र शुल्क रू0 1000/– मात्र का ड्रफ्ट जो "मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0", भुगतेय समस्तीपुर होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा सम्बन्धित विस्तृत जानकारी के लिए www.mithiladairy.com पर लॉग इन करें।

भरे गये निविदा दिनांक 26/05/2020 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में दुग्ध संघ मुख्यालय समस्तीपुर के सभाकक्ष में निविदादाताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोली जायेगी।

एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने/ निविदा की तिथि घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

20/4/2020
प्रबन्ध निदेशक

प्रति0 : सूचना पट्ट
समस्तीपुर/दरभंगा/रोसड़ा/मधुबनी

: इकाई प्रभारी
दरभंगा/रोसड़ा/मधुबनी

: प्र0 नि0 प्रकोष्ठ/प्रभारी संग्रहण/लेखा पदाधिकारी
मदुस, समस्तीपुर

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

COMFED

समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो0– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर– 848101
Tel : 06274 – 228013, 228012, Email: mithila.idis@gmail.com
Website: www.mithiladairy.com

कच्चे दुग्ध परिवहन हेतु गाड़ी के लिये निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र–1 (तकनीकी बिड)

(कृपया मूल प्रति में ही बिड जमा करें)

फोटो

1. अवेदक का पूरा नाम :–
   लिंग :–
   जन्म तिथि :–
   सैक्षणिक योग्यता :–

2. स्थायी पता :–
   (पोस्टल पिन कोड सहित)

3. वर्त्तमान पता :–
   (पोस्टल पिन कोड सहित)
   मोबाइल नम्बर :–

4. पैन नम्बर :–
   आधार नम्बर :–

5. अनिवार्य तकनीकी अहर्त्ताए :–
   क) गाड़ी का प्रकार :–
   ख) कम्पनी का नाम :–
   ग) निबंधन संख्या :–
   घ) क्रय वर्ष :–
   ङ) ऑनर बुक मे गाड़ी :–
   मालिक का नाम
   च) टैक्स टोकन किस अवधि :–
   तक जमा की गई है
   छ) किस वर्ष/तिथि तक बीमा:–
   प्रीमियम की राशि जमा की गई है

ज) किस अवधि/तिथि तक गाड़ी :—
का फिटनेस की गई है

झ) प्रदुषण किस अवधि तक की गई है :—

ञ) गाड़ी का रोड परमिट किस अवधि तक है :—

6 पथ संख्या (पथ विवरण सहित) :—
जिसके लिये निविदा भरा गया है

7. अग्रधन राशि के मद में संलग्न ड्राफ्ट की विवरणी

ड्राफ्ट नम्बर .... रूपये ....

दिनांक .... राष्ट्रीय कृत बैंक/शाखा का नाम ....

8. ऑनर बुक, नवीनतम रोड परमिट, टैक्स टोकन,
फिटनेस, प्रदुषण प्रमाण पत्र इत्यादी की छाया प्रति संलग्न होना आवश्यक है।

नोट :— अनिवार्य तकनीकी अहर्त्ताएँ पूर्ण होने के स्थिति में वित्तीय बिड खोला जायेगा अन्यथा वित्तीय बिड नहीं खोला जायेगा।

मैं घोषणा करता हूँ कि मैने कच्चे दुग्ध परिवहन निविदा के संबंध में एकरारनामा के सभी (क्रमांक 1 से 29 में अंकित) शर्त्तों को पढ़ तथा समझ लिया हूँ एवं सभी शर्त्तों को पालन करने हेतु सहमति देता हूँ।

तिथि ....

हस्ताक्षर
निविदादाता

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

COMFED

समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो0– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर– 848101
Tel : 06274 – 228013, 228012, Email: mithila.idis@gmail.com
Website: www.mithiladairy.com

निविदा प्रपत्र–2 (वित्तीय बिड)

(कृपया मूल प्रति में ही बिड भर कर जमा करें)

1) आवेदक का पुरा नाम :–

2) पता

क. स्थायी पता :–

ख. वर्तमान पता :–

मोबाइल नम्बर :–

3) पथ संख्या (विवरण सहित) :–

4) गाड़ी का प्रकार :–

5) न्युनतम स्वीकार्य दर प्रति किलोमीटर :–
(टोल टैक्स सहित)

नोट:– दिनांक 30.04.2020 को चॉदना सर्विस स्टेशन समस्तीपुर में प्रभावी डीजल दर प्रति किलोमीटर को आधार माना जायेगा।

मै घोषणा करता/करती हूँ कि सूचना प्रपत्र में अंकित की गई है, वह हमारी जानकारी में सत्य है। अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना/जानकारी असत्य सावित हो जाता है तो मेरी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी। मैं सभी कागजातो का मूल प्रति निविदा खोलने के समय तथा कार्य के दरम्यान मांगे जाने पर जांच हेतु उपस्थापित करूँगा/करूँगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

निविदादाता

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

COMFED

समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो0– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर– 848101
Tel : 06274 – 228013, 228012, Email: mithila.idis@gmail.com
Website: www.mithiladairy.com

दुग्ध परिवहन निविदा जमा करने से सम्बंधित प्रमुख सूचनाएँ

1.) विहित प्रपत्र में पूर्ण भरे हुए मुहर बंद निविदा कार्यालय पता पर दिनांक 25.05.2020 के 5.0 बजे अपराहन तक प्राप्त किया जायेगा। निविदा दो बिड आधारित होगा। निविदा प्रपत्र–1 (तकनीकी बिड) होगा जिसके लिफाफे के उपर तकनीकी बिड तथा निविदा प्रपत्र–2 (वित्तीय बिड) होगा जिसके लिफाफे के उपर वित्तीय बिड लिखा होगा। दोनों लिफाफे को एक तीसरे बड़े लिफाफा में मुहर बंद करें जिसके उपर कच्चे दुग्ध परिवहन हेतु निविदा अंकित कर प्रबंध निदेशक मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, औद्यौगिक क्षेत्र, पत्रालय– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर, पिन कोड– 848101 (बिहार) के पता पर भेजें। प्रत्येक लिफाफा पर निविदादाता अपना पत्राचार का पता पिन कोड सहित अवश्य लिखें। डाक एवं कोरियर द्वारा प्राप्त निविदा ही स्वीकार किया जायेगा।

2.) अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा दिनांक 26.05.2020 को 11.30 बजे पूर्वाहन में कच्चे दुग्ध परिवहन हेतु गाड़ी का तकनीकी बिड को खोला जायेगा एवं शर्त्तों के अनुरूप योग्य निविदा दाताओं का चयन किया जायेगा।

3.) निविदा खोलने की तिथि को अगर छुट्टी का दिन घोषित होता है तो छुट्टी को बाद आने वाले दूसरे कार्य दिवस को निविदा खोला जायेगा।

4.) यदि निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो अवकाश के बाद वाले पहली कार्य दिवस तक निविदा प्राप्त की जायेगी एवं इस स्थिति में उसके दूसरे कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।

5.) निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर के भरने के स्थिाति में ₹ 1000 का बैंक ड्राफ्ट/RTGS Mode जो "मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" के नाम समस्तीपुर में भुगतेय हो अलग से तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें।

6.) तकनीकी बिड के साथ अग्रधन की राशि प्रत्येक पथ के निविदा के लिये 15000/– रूपये मात्र अलग–अलग पथ के लिये होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो "मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" के पक्ष में समस्तीपुर में भुगतेय होगा। संलग्न करेंगे। सफल निविदादाताओं के अग्रधन की राशि मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 समस्तीपुर में जमानत राशि के रूप में समायोजन किया जायेगा जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अग्रधन राशि का ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने के स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निविदादाता को अपने स्वामित्व का गाड़ी होना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगा। अगर संघ को एक गाड़ी नम्बर का एक से अधिक पथो के लिये निविदा प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में निविदादाता के सभी निविदा रद्द कर दिया जायेगा अर्थात वैसे प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

7.) तकनीकी बिड के आवश्यक शर्त्तों के सन्दर्भ में प्रमाण के रूप में मॉगे गये दस्तावेजों या उसके अनुरूप मानक पुरा नहीं करने पर आवेदक/निविदादाता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा एवं उनके वित्तीय बिड/निविदा को नहीं खोला जायेगा। जिसके कारण निविदादाता का निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उनकी अग्रधन राशि ₹ 15000/– मात्र वापस कर दी जायेगी।

8.) तकनीकी बिड में सफल निविदादाता को ही वित्तीय बिड में सम्मिलित किया जायेगा। वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि एवं समय की सूचना तकनीकी बिड में सफल निविदादाता को बाद में दी जायेगी।

9.) निर्धारित तिथि एवं समय से प्राप्त निविदा को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर के सभाकक्ष में खोला जायेगा जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। प्राधिकृत प्रतिनिधि हेतु निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरयुक्त अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10.) तकनीकी बिड के सफल निविदादाता के वित्तीय निविदा में दिये गये न्युनतम पथ वार दर एवं संस्थाहित में उपयुक्त शर्तों के आधार पर दुग्ध परिवहन संवेदक का चयन किया जायेगा।

11.) स्वीकृत निविदा का सूचना गाड़ी मालिक (निविदादाता) को मिलने के उपरान्त जमानत राशि जमा नहीं करने या आवंटित कार्य न्युनतम 15 दिनों तक सम्पादित नहीं करने की स्थिति में अग्रधन राशि ₹ 15000/– मात्र संघ द्वारा जप्त कर ली जायेगी।

12.) जिस पथ के लिये निविदा भरा जायेगा उसी पथ में समिति के सचिव/अध्यक्ष को निविदादाता होने पर निविदा अमान्य होगा।

13.) निविदादाता की गाड़ी 2010 मॉडल के बाद का होना अनिवार्य है एवं स्वच्छ छवि के संवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

14.) तकनीकी निविदा के साथ गाड़ी के निम्नांकित कागजात की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न की जाये अन्यथा तकनीकी निविदा मान्य नहीं होगा। गाड़ी का ऑनर बुक, टैक्स टोकन, बीमा कागजात, रोड परमिट, फिटनेस, प्रदुषण का छाया प्रति/सभी वाहनों का निबंधन संख्या कमर्शियल होना अनिवार्य होगा।

15.) स्वीकृत निविदा की लिखित सूचना गाड़ी मालिक को दी जायेगी तदनरूप संघ द्वारा निर्गत पत्र के आधार पर निर्धारित तिथि को गाड़ी के प्रकार के अनुरूप जमानत राशि नगद अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से संघ में जमा करना होगा।

	गाड़ी का प्रकार		जमानत राशि (₹)
क.	टाटा 608/709 एवं समतुल्य	--	60000.00
ख.	टाटा 407 एवं समतुल्य	--	40000.00
ग.	पीकअप एवं समतुल्य	–	25000.00

प्रबन्ध निदेशक

पथ एवं अनुमानित दूरी की विवरणी

क्रमांक	पथ संख्या	पथ विवरणी कहाँ से	कहाँ तक	वाहन का प्रकार	दूरी (कि0मी0) (दोनों पाली मिलाकर)
1	1	समस्तीपुर डेयरी	मंगल चौक, कल्याणपुर गौड़ा, सलोनी, वैनी, डोरापार वापस समस्तीपुर डेयरी	टाटा–407 / समतुल्य	120
2.	1 ए	समस्तीपुर डेयरी	गढ़िया, पंचरूखी, वाजितपुर, दादपुर वापस समस्तीपुर डेयरी	टाटा 4 / समतुल्य	122
3.	1 बी	समस्तीपुर डेयरी	गरूआरा, दूधपुरा, धुरलक वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	118
4.	1 सी	समस्तीपुर डेयरी	महमदा, चौधरी टोला, धोवगामा, दिघड़ा, कृष्णा वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	144
5.	9	समस्तीपुर डेयरी	पकड़ीडीह समिति वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	148
6.	3 ए	बढ़ौना बी.एम.सी.	वाजितपुर दानी टोल, भारिंगपुर, तेलारपुर, रामगामा एवं शिवना वापस बढ़ौना बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	88
7.	3 बी	समस्तीपुर डेयरी	मलकल्लीपुर, सुभानीपुर एवं मधेपुर पूर्वी वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	130
8.	3 सी	समस्तीपुर डेयरी	बल्लोचक, पॉड़ उत्तर, भगवानपुर कमला, सातनपुर, पचपैका पतैली एवं माधोडीह पतैली वापस समस्तीपुर डेयरी	टाटा–709 / समतुल्य	102
9.	3 ई	समस्तीपुर डेयरी	पिपर पॉती, शोभरा विश्वासपुर, रायपुर, वाजितपुर एवं अण्डाहा वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	128
10.	4 सी	समस्तीपुर डेयरी	सुपौल भाया बिरनामा वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	140
11.	4 डी	समस्तीपुर डेयरी	सुरतपुर भाया रेवाड़ी वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	130
12.	6 बी	समस्तीपुर डेयरी	बंगरा, ताजपुर, कोठिया, डी सरसौना, मोतीपुर एवं चकहब्बीब वापस समस्तीपुर डेयरी	टाटा–709 / समतुल्य	128
13.	6 सी	समस्तीपुर डेयरी	उमेदपुर, कुम्हरा, आनन्दपुर, गोरीयारी, मोरवा राय टोल एवं बाघी वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	98
14.	6 डी	समस्तीपुर डेयरी	गौड़ा बुजुर्ग, चकसिकन्दर, राजवाड़ा, म0 डीघरूआ एवं सोंगर वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	150

क्रमांक	पथ संख्या	पथ विवरणी कहाँ से	पथ विवरणी कहाँ तक	वाहन का प्रकार	दूरी (कि0मी0) (दोनों पाली मिलाकर)
15.	6 ई	समस्तीपुर डेयरी	रामपुर केशोपट्टी, बेझाडीह, लगुनिया रघुकण्ठ, रामपुरा, एवं आदर्श नगर वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप– / समतुल्य	68
16.	7 बी	समस्तीपुर डेयरी	काली स्थान से वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप / समतुल्य	120
17.	7 ए	समस्तीपुर डेयरी	बाबुलाल चौक, पचन्ना, अंधैल भाया विशनपुर चौक वापस समस्तीपुर डेयरी	टाटा–709 / समतुल्य	94
18.	8	समस्तीपुर डेयरी	रहिमपुर प्यारे, बहादुरपुर भाया दयाल चौक मुसापुर, जगदीशपुर वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप– / समतुल्य	115
19.	8 बी	समस्तीपुर डेयरी	हुरहिया, बरबट्टा, झखड़ा, रामचन्द्रपुर भाया हरसिंहपुर भटगामा, बखरी बुजुर्ग वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप– / समतुल्य	96
20.	8 सी	समस्तीपुर डेयरी	बनघाड़ा, किशनपुर, बहादुरपुर अरमौली भाया गंगसारा सरायरंजन वापस , समस्तीपुर डेयरी	टाटा–709 / समतुल्य	100
21.	17	समस्तीपुर डेयरी	मंजील मुबारक, ध्रुवगामा भाया धुरलख, रघुनाथपुर, महाबलीपुर, केशोपट्टी वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप– / समतुल्य	113
22.	25	समस्तीपुर डेयरी	चन्दौली, धनहर भाया माधोपुर, किशनपुर, छतनेश्वर, विशनपट्टी, मन्नीपुर वापस समस्तीपुर डेयरी	पिकअप– / समतुल्य	120
23.	4 ए	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	काले, दुधपुरा वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा–407 / समतुल्य	90
24.	4 ए–1	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	भिरार से महुली वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा–407 / समतुल्य	99
25.	4 ए–2	मोरवाड़ा बी.एम.सी	मोरवाड़ा, बथान चौक, लिलहोल वापस मोरवाडा बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	116
26.	4 बी	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	बसंतपुर रमणी, भादोघाट वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा–407 / समतुल्य	125
27.	4 बी–1	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	भटौरा मठ,शिवाजीनगर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा–407 / समतुल्य	103
28.	4 बी–2	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	जाखर, सोनूपुर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा–407 / समतुल्य	102

क्रमांक	पथ संख्या	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	दूरी (कि0मी0) (दोनों पाली मिलाकर)
		कहाँ से	कहाँ तक		
29.	20	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	उजान, मोरकरी मोड़ वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा--709 / समतुल्य	203
30.	20 बी	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	गौड़ीडीह, बरैपुरा, मब्बी वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप / समतुल्य	86
31.	20 सी	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	नरपा, जगतपति वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा709 / समतुल्य	164
32.	10	दरभंगा डेयरी	दोघरा चौक वापस दरभंगा डेयरी	टाटा407 / समतुल्य	192
33.	10 ए	कमतौल बी.एम.सी.	वाजितपुर वापस कमतौल बी. एम.सी.	टाटा407 / समतुल्य	160
34	10 बी	दरभंगा डेयरी	कोरा वापस दरभंगा डेयरी	टाटा407 / समतुल्य	198
35.	11	दरभंगा डेयरी	रामपुर कंसी वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	190
36.	11 ए	दरभंगा डेयरी	खरारी भरवारी हायाघाट वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	196
37.	11 बी	कमरगामा बी.एम.सी.	नेयाम, मनिकौली वापस कमरगामा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल	90
38.	11 सी	दरभंगा डेयरी	गोढैला वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	173
39.	11 डी	दरभंगा डेयरी	कमलपुर, पंचोभ वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल	85
40.	13	बिठौली बी.एम.सी.	सरहिल्ला चौक मन्नुपुरखर्रा वापस बिठौली बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	170
41.	13 ए	बिठौली बी.एम.सी.	ददरवाड़ा वापस बिठौली बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	150
42.	14	कहुआ बी.एम.सी.	चकला, सुहथ भाया पिपड़ा वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	186
43.	15	दरभंगा डेयरी	भदवा, सोनहान वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	140
44.	31	दरभंगा डेयरी	चक्का लहवार भाया अंदामा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	152
45.	32	झिलोरिया बी.एम.सी.	सिगरी, कुशेश्वर स्थान वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	90
46.	34	दरभंगा डेयरी	बहेड़ा भाया गैवाल वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल	164
47.	35	महवा बी.एम.सी.	कोनीधाट वापस महवा बी.एम. सी	पिकअप / समतुल्य	90
48.	36	झिलोरिया बी.एम.सी.	पलवा वापस झिलोरिया बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	152
49.	37	झिलोरिया बी.एम.सी.	जमालपुर वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	200

क्रमांक	पथ संख्या	पथ विवरणी कहाँ से	पथ विवरणी कहाँ तक	वाहन का प्रकार	दूरी (कि0मी0) (दोनों पाली मिलाकर)
50.	38	दरभंगा डेयरी	पुरुषोतमपुर वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	166
51.	43	कमतौल बी.एम.सी.	भगवतीपुर वापस कमतौल बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	128
52.	44	कहुआ बी.एम.सी.	देवना, तारडीह वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	206
53.	46	दरभंगा डेयरी	अमताही विधिपुर नवादा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	238
54.	13+24	महवा बी.एम.सी.	काकर, लक्ष्मिनिया वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	114
55.	13+24 ए	महवा बी.एम.सी.	उसरी, इनाई वापस महवा बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	95
56.	26	उमगांव बी.एम.सी.	बरहा वापस उमगांव बी.एम. सी.	पिकअप / समतुल्य	184
57	28	उमगांव बी.एम.सी.	पलिभोठ वापस उमगांव बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	198
58.	29	उमगांव बी.एम.सी.	सेलर वापस उमगांव बी.एम. सी.	पिकअप / समतुल्य	200
59.	12	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	मलंगिया वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	190
60.	12 ए	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	भोजपंडौल वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	162
61.	22	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	चतरा वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	145
62	23	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	महाराजपुर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	157
63.	33	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	भैयापट्टी वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	184
64.	40	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	करमामगरार वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	198
65.	45	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	मेधौल वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	152
66.	16	सिमरा बी.एम.सी.	बटुरी वापस सिमरा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	182
67.	16 ए	सिमरा बी.एम.सी.	राधिकापुर वापस सिमरा बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	182
68.	27	सिमरा बी.एम.सी.	रूद्रपुर, बेलही वापस सिमरा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	138
69.	30	सिमरा बी.एम.सी.	रौआही वापस सिमरा बी.एम. सी.	पिकअप / समतुल्य	234
70.	39	सिमरा बी.एम.सी.	भुपट्टी वापस सिमरा बी.एम. सी.	पिकअप / समतुल्य	180
71.	47	सिमरा बी.एम.सी.	खुटौना वापस सिमरा बी.एम. सी.	पिकअप / समतुल्य	212
72.	48	सिमरा बी.एम.सी.	सरौती वापस सिमरा बी.एम. सी.	पिकअप / समतुल्य	170

1000/– रू0 नन–जुडिशियल स्टाम्प, पईया/इक्सक्यूटिव पेपर पर

दुग्ध परिवहन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा आज दिनांक .... को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर डेयरी जिसका कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट – हरपुर एलौथ, समस्तीपुर में अवस्थित है, की तरफ से प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष के रूप में जिसे आगे "दुग्ध संघ" से संबोधित किया जायेगा तथा दूसरा पक्ष श्री .... (गाड़ी मालिक का नाम) पिता .... ग्राम .... पो0..थाना .... जिला .... के स्थायी निवासी हैं तथा जिनका पत्राचार का पता .... दूरभाष/मोबाईल संख्या... जिसे आगे "संवेदक" से संबोधित किया जायेगा के बीच सम्पादित किया जाता है ।

दुग्ध संघ द्वारा दिनांक .... से .... की अवधि के लिए गॉव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों से संग्रहित कच्चे दूध को ....(डेयरी/शीतक केन्द्र का नाम) जो दुग्ध संघ की एक इकाई है, तक परिवहन करने तथा समितियों को जॉच सामान, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न सामग्रियों का परिवहन कराने के उद्देश्य से नियुक्त संवेदक को कार्यादेश संख्या .... दिनांक ....पत्र सं0 ....के लिये, निर्गत किया गया है जिसे संवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है । उक्त निर्गत कार्यादेश में अंकित सभी शर्तें एकरारनामा के शर्तों का हिस्सा समझा जायेगा जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए सहमत हैं ।

दोनों पक्षो द्वारा एकरारनामा में उद्धृत क्रमांक 01 से 29 में अंकित सभी शर्तों को पूर्णरूप से पढ़कर, समझकर एवं बिना किसी दबाव के उपरोक्त अंकित तिथि को नीचे अंकित साक्षी की उपस्थिति में अनुबंध किया गया।

हस्ताक्षर (दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)	हस्ताक्षर (संवेदक)
उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)	उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)
01.	01.
02.	02.

दुग्ध परिवहन एकरारनामा की शर्तें

01 यह एकरारनामा दिनांक .... से .... अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। एकरारनामा अवधि की समाप्ति के पश्चात अधिकतम तीन माह के लिए अवधि विस्तार का अधिकार "दुग्ध संघ" को होगा जिसे "संवेदक" मानने के लिए बाध्य होंगे । अवधि विस्तार के दौरान सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। पुनः आपसी सहमति के आधार पर कार्य अवधि का विस्तार अधिकतम 2 वर्षों तक किया जायेगा जिसके लिए एकरारनामा करना होगा।

02 एकरारनामा अवधि के दौरान एकरारनामा समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ द्वारा कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना संवेदक को दिया जायेगा जबकि संवेदक को उक्त स्थिति में न्यूनतम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना दुग्ध संघ को दिया जाना आवश्यक होगा ।

अत्यन्त ही विशेष परिस्थिति जिसमें दुग्ध संघ को ऐसा महसूस होता है कि संवेदक के जारी रहने से दुग्ध समिति/दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान होगी तो वैसी परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा चौबीस घंटे पूर्व लिखित सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की सूचना पंजीकृत पत्र निर्गत की तिथि से ही संवेदक को प्राप्त माना/समझा जायगा ।

03 एकरारनामा के पूर्व दुग्ध संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश के अनुसार एकरारनामा के दिये गये शर्तों के परिपालन के एवज में संवेदक द्वारा जमानत राशि .... (...) रू0 दुग्ध संघ में जमा किया गया जिसपर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा ।

एकरारनामा की समाप्ति के पश्चात् (अवधि समाप्ति अथवा संवेदक द्वारा वैध नोटिस दिये जाने के कारण) संवेदक द्वारा सभी समितियों के सचिव द्वारा निर्गत एवं संघ/शीतक केन्द्र के भंडार से "बकाया नहीं प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के पश्चात सभी वसूलनीय राशि की कटौती के पश्चात् (यदि कोई हो तो) तीन माह के अंदर जमानत राशि का भुगतान संघ द्वारा किया जायगा । संवेदक की सुविधा के लिए संवेदक के कार्य समाप्ति की सूचना दुग्ध संघ के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सभी समितियों को 15 दिन का समय देते हुए <u>बकाया सम्बन्धी दावा प्रस्तुत करने का लिखित निर्देश</u> निर्गत करेगा इसके अतिरिक्त एकरारनामा में उद्धृत शर्तों के आधार पर जमानत राशि के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा ।

04 दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर निर्गत समय-सारिणी के अनुसार सुबह तथा शाम पाली में दूध सहित कैन समितियों से प्राप्त कर दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क कूलर समिति) तक परिवहन की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। निर्धारित समय से विलम्ब से दूध पहुँचाने के कारण समितियों से प्राप्त दूध के खट्टा या दही हो जाने से समितियों को हुए पूर्ण क्षति की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी ।

05 दुग्ध संघ से प्राप्त खाली केन, समिति को संबोधित पत्र, ऐसीड, अल्कोहल, पशु आहार, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चारा बीज इत्यादि संघ द्वारा निर्गत सभी सामान संबंधित समितियों को देने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसी प्रकार समितियों से प्राप्त सभी सामान (कैन सहित कच्चे दूध के अतिरिक्त) जैसे मांग पत्र, पत्र, एसीड, अल्कोहल का खाली जार इत्यादि प्रत्येक पाली में दुग्ध संघ के गेट पर जमा करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी । परिवहन के दौरान सामान के टूट-फूट, चोरी, मात्रा की कमी, दुर्घटना में अथवा इत्यादि कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई क्षति की कटौती संवेदक से की जायेगी ।

06 संवेदक द्वारा प्रत्येक पाली (सुबह/शाम) का ट्रक-शीट उसके अगले पाली में (सुबह पाली का ट्रक-शीट शाम पाली में तथा शाम पाली का ट्रक-शीट सुबह पाली में) संबंधित समितियों के प्रतिनिधि (सचिव, टेस्टर, मास्वाहक) का हस्ताक्षर कराना होगा । सामान्य परिस्थिति में संघ द्वारा प्रत्येक दिन सुबह पाली का ट्रक-शीट उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे तक तथा रात्रि पाली का ट्रक-शीट अगले तारीख के सुबह चार बजे उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त संवेदक संघ द्वारा प्रत्येक पाली में निर्गत ट्रक-शीट के पीछे सभी समिति के प्रतिनिधि से उनके द्वारा आपूर्ति भरे कैन की संख्या, दूध की मात्रा, आपूर्ति खाली जार की संख्या की प्रविष्टि करायेंगे या स्वयं करेंगे। चालक द्वारा हस्ताक्षरित भरे हुए ट्रक शीट दूध तौल के पूर्व कार्यरत पाली प्रभारी को सौंपेंगे। उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं होने के स्थिति में संघ द्वारा प्रति पाली 250/- (दो सौ पचास) रू0 की दर से जुर्माना करने का अधिकार संघ का सुरक्षित रहेगा।

07 मुख्य पथ से अगर शटल पथ जुड़ा हो तो, शटल पथ के परिवहन संवेदक को खाली केन, पत्र, ट्रक-शीट, पशु आहार, एसीड, अल्कोहल, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चारा एवं अन्य सामग्री निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार मुख्य पथ के संवेदक को सौंपनी होगी। सामग्री जिस अवस्था में दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र) से प्राप्त करेंगे शटल पथ के संवेदक को भी समितियों से प्राप्त उपरोक्त अंकित सभी सामान को ठीक उसी अवस्था में मुख्य पथ के संवेदक को सौंपना होगा। सामग्रियों के लेन-देन से संबंधित पंजी का संधारण दोनों संवेदकों को करनी होगी तथा सामान टूट-फूट, नुकसान की स्थिति में हुई क्षति की वसूली संबंधित संवेदक से किया जायेगा ।

08. मुख्य पथ एवं शटल पथ के संवेदक द्वारा किसी कारणवश समितियों से प्राप्त दूध एवं अन्य सामग्री परिवहन कर दुग्ध संघ तक नहीं ला पाने की स्थिति में हुई क्षति की कटौती संवेदक से किया जायेगा। परिवहन गाड़ी खराब या अन्य किन्हीं कारणों से दूध परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संवेदक की होगी ।

09. किसी कारणवश परिवहन संवेदक समिति का दूध एवं अन्य सामग्री छूट समय के साथ/निर्धारित समयानुसार परिवहन करने में असफल होता है, तो वैसी परिस्थिति में मुख्य पथ एवं शटल पथ की समितियों के दूध के खट्टा/दही होने से हुई क्षति की पूर्ण कटौती संवेदक के विपत्र से कटौती कर समिति को भुगतान की जायेगी ।

10. शटल पथ के संवेदक, समितियों से संबंधित दूध कैन एवं अन्य सामग्री मुख्य पथ के संवेदक को निर्धारित समय तालिकानुसार निर्धारित स्थान पर सौंपने में असफल होने की स्थिति में शटल पथ के संवेदक को दुग्ध संघ तक दूध कैन एवं अन्य सामग्री पहुँचाना होगा, परंतु उन्हें अतिरिक्त तय की गई दूरी का भाड़ा का भुगतान नहीं होगा । समिति एवं संघ को इसके कारण हुई क्षति की कटौती शटल पथ के संवेदक के विपत्र से की जायेगी । ऐसी स्थिति में मुख्य पथ के संवेदक को उसी दिन तथा पाली में दुग्ध संघ को लिखित सूचना देनी होगी जिसमें शटल पथ की गाड़ी निर्धारित समय पर नहीं पहुँचने का उल्लेख हो । दुग्ध संघ या समिति द्वारा आपूर्ति किये गये सामान के अतिरिक्त संवेदक द्वारा पैसेंजर या अन्य सामग्री ढोने का कार्य परिवहन में संलग्न गाड़ी द्वारा नहीं किया जायेगा । उक्त शर्तों के उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम बार उस पाली अर्थात एक पाली का विपत्र संघ द्वारा कटौती कर लिया जायेगा । उक्त शर्तों के उल्लंघन की पुनरावृति होने की स्थिति में एकरारनामा रद्द करने तथा पूर्ण जमानत की राशि जप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा ।

11 दूध परिवहन के दौरान संघ में कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारियों (प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्धक, उप प्रबन्धक, धारा विकास पदाधिकारी, सहायक प्रबन्धक, दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी, वरीय पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, प्रापण सहायक, डेयरी कर्मी) इत्यादि को परिवहन गाड़ी जाँच करने का अधिकार होगा। परिवहन, मात्रा या गुणवत्ता की समस्या के कारण समिति के सचिव अथवा अध्यक्ष परिवहन गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु संवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी पर नहीं चढ़ायेंगे तथा परिवहन गाड़ी पर अन्य सामान का परिवहन नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर प्रति केस रू0 500.00 (रूपये पाँच सौ) तक आर्थिक जुर्माना किया जायेगा।

12. परिवहन संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर न्यूनतम मिडिल पास व्यवहार–कुशल एवं गाड़ी परिचालन संबंधी अनुज्ञा–पत्रधारी चालक के अतिरिक्त एक कुशल खलासी केन लोडिंग तथा अनलोडिंग हेतु अपने खर्च पर रखेंगे। गाड़ी के साथ गाड़ी का ऑनर बुक, बीमा संबंधी कागजात, परिवहन नियमावली के तहत सभी कागजातों को रखेंगे ।

13 दूध पथ में पड़ने वाले समिति (सभी अथवा आंशिक रूप से) या पूरे दूध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से दूध संग्रहण बंद करने का अधिकार दुग्ध संघ को पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। दुग्ध संघ द्वारा इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दिया जायेगा । समिति अथवा दुग्ध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बंद होने के कारण संवेदक को किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति (यदि हो तो) दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा। दूध पथ की दूरी में वृद्धि या कमी करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। संवेदक को वास्तविक तय की गई दूरी के आधार पर दुग्ध संघ द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

14 संवेदक की गाड़ी पर कार्यरत चालक, खलासी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा परिवहन के दौरान या दुग्ध संघ परिसर में दूध की चोरी करते हुए अथवा हेरा–फेरी करते हुए पकड़े जाने पर संवेदक के एकरारनामा निरस्त करते हुए जमानत राशि जप्त कर परिवहन कार्य से मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी तथा परिवहन कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली सभी समितियों का घटना की तिथि से एक माह पूर्व में हुई सभी क्षति (दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता) की कटौती निम्नदर से की जायेगी .

दूध	34.00 रू0 प्रति लीटर
फैट	307.00 रू0 प्रति किलो
एस0एन0एफ0	204.67 रू0 प्रति किलो

संघ द्वारा जाँच के उपरांत अन्य परिस्थितियों में भी मात्रा तथा गुणवत्ता से संबंधित कटौती उपरोक्त दर से की जायेगी।

15 क्रमांक 14 में अंकित कटौती के अतिरिक्त समिति से प्राप्त सामान अथवा संघ द्वारा आपूर्ति किये गए सामान के खोने, चोरी करते हुए पकड़े जाने तथा समिति को आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा निम्नलिखित दर से परिवहन संवेदक से राशि की वसूली की जायेगी

कैन ढक्कन सहित (अल्यु0)		3400.00 रू0 प्रति अदद
कैन ढक्कन सहित (स्टील)	–	3600.00 रू0 प्रति अदद
कैन लीड (अल्यु0)	–	500.00 रू0 प्रति अदद
कैन लीड (स्टील)	–	600.00 रू0 प्रति अदद
जार 10 ली0 (प्लास्टिक)		250.00 रू0 प्रति अदद
जार 2 ली0 (प्लास्टिक)		100.00 रू0 प्रति अदद
सुपर सुधा पशु आहार		25.00 रू0 प्रति किलो

उपरोक्त अतिरिक्त जिन सामग्री का दर अंकित नहीं किया गया है उन सामग्रियों की कटौती संघ द्वारा समिति को आपूर्ति दर से 20 प्रतिशत अधिक दर से की जायेगी। संघ का साख खराब होने की स्थिति में रू0 5000/- जुर्माना भी किया जायेगा।

16. संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर व्यवहार--कुशल चालक तथा खलासी रखें । समिति अथवा संघ के सेवकों के साथ दुर्व्यवहार अथवा चोरी, दूध की हेरा–फेरी करते हुए पकड़े जाने वाले चालक अथवा खलासी को दुग्ध संघ द्वारा लिखित सूचना प्राप्ति के पश्चात् उस कर्मचारी (चालक/खलासी) को हटाने की बाध्यता संवेदक की होगी । संघ द्वारा पूर्व में हटाये गये चालक/खलासी भले ही वे पूर्व में किसी अन्य संवेदक के साथ संलग्न हों उन चालक तथा खलासी को किसी भी संवेदक द्वारा नहीं रखा जायेगा। कार्यालय के सामान्य प्रशासन के तहत चालक तथा खलासी को उचित ड्रेस में परिवहन कार्य तथा परिसर में आने के लिए संवेदक सुनिश्चित करेंगे। संवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि चालक तथा खलासी लुंगी पहनकर परिसर में न आयें । परिवाहन संवेदक, चालक, खलासी का पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

17. संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि चालक/खलासी किसी ऐसे कारनामें में शामिल अथवा सम्बद्ध होते हैं जिससे दुग्ध संघ की छवि खराब होती है वैसी स्थिति में संघ द्वारा परिवहन एकरारनामा तत्काल रद्द कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा ।

18. समितियों से आपूर्ति दूध का भारवाहक पर्ची/ चालान प्रतिदिन प्राप्त करने एवं डेयरी डॉक पर देने की जिम्मवारी परिवहन संवेदक की होगी। दूध की कमी होने पर परिवहन संवेदक के विपत्र से कटौती की जायेगी।

19. दुग्ध परिवहन की गाडी परिसर में प्रवेश के समय मुख्य गेट पर रूकेगी जहाँ सुरक्षा प्रहरी द्वारा केन की गिनती की जायगी । संवेदक के प्रतिनिधि समिति से प्राप्त पत्र, समान प्राप्ति रसीद सभी सामान सुरक्षा प्रहरी को सुपुर्द करेंगे तथा पंजी में प्रविष्टि कर अपना हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप करेंगे । उसी प्रकार वापसी में निर्गत सामान, पत्र इत्यादि दुग्ध संघ से प्राप्त कर अपना हस्ताक्षर करेंगे । डेयरी परिसर में अधिकतम 10 किलोमीटर/घंटा की गति से गाड़ी चलाया जायगा। डेयरी डॉक पर संवेदक के प्रतिनिधित द्वारा व्यवस्थति रूप से भरे केन का अनलोडिंग किया जायेगा। अनलोडिंग के पश्चात उचित जगह पर एवं व्यवस्थित रूप से गाड़ी को पार्क करेंगे जिससे अन्य गाड़ी के परिचालन में असुविधा नहीं हो। वापसी में ट्रक-शीट प्राप्ति के पूर्व भंडार/कृत्रिम गर्भाधान शाखा के भंडार समिति के माँग के अनुसार सभी सामान प्राप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक के प्रतिनिधि की होगी । उक्त शर्तों के पालन नहीं करने पर अधिकतम प्रति केस 500.00 (पाँच सौ) रू0 का जुर्माना किया जायेगा ।

20. परिवहन संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी की अपने खर्च पर दूध परिवहन गाड़ी में स्थायी तौर पर हवादार छतरी की व्यवस्था कर आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिन के अन्दर संसूचित करना होगा । उक्त व्यवस्था के संदर्भ में संसूचित नहीं करने की स्थिति में आदेश रद्द किया जा सकता है।

21. दुग्ध संघ द्वारा संवेदक को अपने पथ के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य पथों में स्पेशल ट्रीप लगाने हेतु निदेश दिया जा सकता है जिसका परिपालन संवेदक की बाध्यता होगी । इस कार्य हेतु संवेदक को उनके पथ के लिए स्वीकृत दर के आधार पर वास्तविक तय की गई दूरी का भुगतान किया जायेगा ।

22. एकरारनामा अवधि के दौरान संवेदक द्वारा कार्यादेश में अंकित गाड़ी द्वारा ही दूध परिवहन का कार्य करेंगे। गाड़ी के खराब होने की स्थिति में उक्त शर्त संघ द्वारा शिथिल किया जायेगा, परंतु इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दुग्ध संघ को देनी होगी जिसमें नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का गाड़ी नम्बर तथा अवधि का उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नयी गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नहीं हो। दुग्ध संघ समिति तथा संवेदक के बीच आपसी ताल–मेल रहे इसके लिए आवश्यक है कि संवेदक द्वारा स्थायी चालक तथा खलासी को रखे। परिवहन कार्य तथा दुग्ध संघ से समान प्राप्ति हेतु संवेदक द्वारा संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा। संवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि चालक तथा खलासी प्रत्येक दिन दोनों पालियों में परिवहन के दौरान अपने पास पहचान पत्र रखे तथा गेट, प्लान्ट या भंडार में माँगे जाने पर प्रस्तुत करे। बिना पहचान पत्र धारण किये "चालक तथा खलासी" को परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके कारण हुई किसी क्षति की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

23. रात्रि पाली में समितियों से संग्रहित दूध का डेयरी परिसर में पहुँचाने के बाद संवेदक द्वारा अपने चालक एवं खलासी के सोने की व्यवस्था परिसर के बाहर करनी होगी । किसी भी परिस्थिति में चालक तथा खलासी को परिसर के अंदर सोने नहीं दिया जायेगा । संवेदक यदि चाहें तो रात्रि पाली में दूध सुपुर्द करने के पश्चात गाड़ी परिसर से बाहर ले जा सकते हैं, परंतु साफ केन, सामान, ट्रक शीट इत्यादि की आपूर्ति निर्धारित समय पर ही की जायेगी जिसे संवेदक को प्राप्त के लिए गाड़ी को पुनः परिसर में लाना होगा। चालक/खलासी को रात्रि पाली में परिसर में सोते पाये जाने की स्थिति में एक मुश्त 500.00 (पाँच सौ) रू0 का जुर्माना किया जायेगा ।

24 रात्रि पाली में दूध परिवहन गाड़ी डेयरी परिसर में नहीं रखा जाएगा। डेयरी परिसर में पाये जाने पर प्रति रात्रि के लिए रु0 500/ जुर्माना लगाया जायेगा।

25 एकरारनामा अवधि के दौरान अगर परिवहन संवेदक दूध परिवहन हेतु गाड़ी भेजने में असफल होते हैं तो वैसी स्थिति में संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी एवं खर्च पर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित होगा। उक्त व्यवस्था के तहत गाड़ी मालिक को संघ द्वारा किये गये वास्तविक भाड़ा तथा उस अवधि में विभिन्न कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई आर्थिक क्षति की कटौती परिवहन संवेदक से की जायेगी। क्षति का पूर्ण समायोजन विपत्र से नहीं होने की स्थिति में संघ में जमा जमानत राशि कटौती की जायेगी ।

26 दुग्ध संघ द्वारा परिवहन भाड़ा के भुगतान हेतु संवेदक को दो प्रति में नीचे अंकित तिथियों को विपत्र प्रस्तुत करना होगा।

अवधि	विपत्र जमा करने की तिथि
01 से 15 तारीख	17 तारीख तक
16 से माह के अंतिम तिथि तक	02 तारीख तक

परिवहन संवेदक उक्त निर्धारित तिथ को उस पथ के पथ प्रभारी को विपत्र के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे । परिवहन संवेदक के उक्त निर्धारित तिथि को विपत्र प्रस्तुतीकरण के बारह दिनों के अंदर दुग्ध संघ द्वारा बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौती (समिति दावा, क्षति, आयकर इत्यादि) के पश्चात भुगतान किया जायेगा। संघ द्वारा मात्र नीचे अंकित बैंक शाखा का बैंक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

समस्तीपुर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया -- मुख्य शाखा।
बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा – हरपुर एलौथ।
डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, शाखा -- ताजपुर।

रोसड़ा बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा रोसड़ा।

दरभंगा/मधुबनी इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा -- दरभंगा।

अतः संवेदक अपनी सुविधा के अनुसार उक्त शाखाओं में अपना खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

परिवहन संवेदक को किसी तरह का अग्रिम देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में विपत्र के विरूद्ध 15 प्रतिशत ब्याज की दर से अग्रिम का भुगतान किया जा सकता है, परन्तु अग्रिम के भुगतान पर परिवहन संवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा।

27 दर परिवर्तन : कुल मिलाकर डीजल के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी दो रूपया या उससे अधिक होने की दशा मे अप्रैल 2020 के माह में डीजल का दर 72.69 को आधार मानते हुए निर्धारित दर वर्ष में तीन बार क्रमशः 01 जनवरी ,01 मई एवं 01 सितम्बर से चार–चार माह के अन्तराल पर परिवर्तनीय होगा। वर्ष में डीजल दर 30 अप्रैल,31 अगस्त एवं 31 दिसम्बर को आधार माना जायगा।परिवर्तन के फलस्वरूप दर संशोधन हेतु डीजल की खपत प्रति लीटर जीप, पीकअप भान के लिए 10 कि0मी0, टाटा- 407/CRX-3200/मैक्सी के लिए 08 कि0मी0, टाटा 608/709 के लिए 06 कि0मी0 तथा टाटा 1109 के लिए 04 कि0मी0 मानकर गणना की जायेगी। तथापि दर संशोधन तबतक नहीं होगा जबतक आधार दर में परिवर्तन दो रूपया या उससे कम/अधिक नही होगा। संशोधित दर उसके अगले भुगतान अवधि से लागू होगा।

28 जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान, चुनाव कार्य मे लगाने हेतु परिवहन गाड़ी की मॉग की जाती है। वैसी स्थिति म संवेदक की बाध्यता होगी कि दुग्ध संघ के लिखित निर्देश पर चालक सहित गाड़ी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार देय भुगतान की प्राप्ति संवेदक द्वारा सीधे प्राप्त की जायेगी।

29 उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार के विवाद इस अनुबंध के तहत प्रावधानो, व्याख्याओं, अधिकारों, उत्तरदायित्वों, जिम्मेवारियों, वसूली के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में प्रबन्ध निदेशक या उनके प्रतिनिधि बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन (कम्फेड), पटना के प्रतिनिधि एकमात्र मध्यस्थ होगें तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनो पक्ष को मान्य होगा। किसी न्यायिक कार्रवाई का क्षेत्र 'समस्तीपुर कोर्ट' होगा।

बन्ध –पत्र

क्रमांक

01 श्री .... पिता श्री ....
उम्र.............. पूरा पता ....
.... व्यवसाय ....

02 श्री .... पिता श्री ....
उम्र.............. पूरा पता ....
.... व्यवसाय .... अपने आपको श्री ....
.... श्री पूरा पता .... जिन्हें अब आगे परिवहन संवेदक कहा जायेगा, का जमानतदार घोषित करते हैं तथा यह जमानत देते हैं कि परिवहन संवेदक द्वारा दिनांक ....को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 जिसे अब आगे "दुग्ध संघ" कहा जायेगा के साथ सम्पादित एकरारनामा के अनुरूप सभी शर्तों का पालन करते हुए परिवहन कार्य सम्पादित करेगा। हम यह भी जमानत देते हैं कि अगर परिवहन संवेदक द्वारा किसी प्रकार गबन अथवा एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन के कारण कोई क्षति होगी तो हम दोनों दस-दस हजार रूपया की राशि तक की क्षतिपूर्ति स्वरूप संघ को भुगतान करेंगे । हम यह भी सहमति देते हैं कि संघ उपरोक्त जमानत की राशि किसी अन्य स्रोत अथवा परिवहन संवेदक से वसूली करने के बजाए हमसे वसूली कर सकती है । हमसे की गई उक्त राशि की वसूली इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि संघ ने परिवहन संवेदक से वसूली हेतु प्रयास किया है अथवा नहीं। हम यह भी सहमति देते हैं कि परिवहन संवेदक से एकरारनामा की शर्तों में संशोधन/परिवर्तन होने पर हम दोनों जमानती ऋण की बाध्यता से विमुक्त नहीं होते हैं। हम लोगों ने दुग्ध संघ और परिवहन संवेदक के बीच सम्पादित एकरारनामा को पढ़कर समझ लिया है। हम दोनों का दायित्व परिवहन संवेदक के प्रति व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से होगा ।

जमानतदारों द्वारा हस्ताक्षरित:

01. नाम .... हस्ताक्षर ....

02. नाम .... हस्ताक्षर ....

गवाह:

01 नाम .... हस्ताक्षर ....

02 नाम .... हस्ताक्षर ....

नोट : प्रत्येक जमानतदार तथा गवाह का फोटोयुक्त निर्वाचन पहचान पत्र या पेन कार्ड की छाया प्रति चिपकायें।

Before.

The Notery Public,

....

AFFIDAVIT

Affidavit of Shri .... S/o Shri .... aged .... years resident of ....

....

1. **The aforesaid, do hereby solemnly affirm and declare as under :**

That I have entered into an agreement dated ....with the **MITHILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., SAMASTIPUR DAIRY, SAMASTIPUR** regarding Transportation of **Milk** situated in **Industrial Area, PO: Harpur Alowth, Samastipur** and the contents of the said agreement to be read as part of this affidavit also .

DEPONENT

VERIFICATION :

Verified at .... this...................................

day of .... that contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom .

DEPONENT